न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 16/2022 — दायर दिनांक 01.11.2022
जीसीएमएस नं. 2022/101 — निर्णय दिनांक 10.09.2025

उनवान

नारायण लबाना पिता कुरिया लबाना निवासी लोडवाडा तहसील गामडी अहाडा जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार गामडी अहाडा, तहसील गामडी अहाडा, जिला डूँगरपुर
2. पटवारी, पटवार मण्डल गामडी अहाडा तहसील गामडी अहाडा, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री कृष्णराज सिंह ।
2. राजकीय पैरोकार ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णयः– *दिनांक– 10.09.2025*

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 01/2022 दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । मौजा लोडवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर–2104/709 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर है किस्म राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर नारायण पिता कुरीया लबाना द्वारा **18’x15’** फीट पर पक्का कमरा वना कर आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इस तथ्य पर कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 709 का भाग न होकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 707 का हिस्सा है, को न माना व न ही

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

इस तथ्य को अपने निर्णय मे ही वर्णित किया । इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से नियमानुसार कार्यवाही नही करना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। अपीलार्थी द्वारा कभी भी मौखिक रूप से अतिक्रमण करना नही कहा है, वल्कि विस्तृत जवाव दिया है व भूमि को खसरा नम्बर 707 का होना बताया है, परन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई हवाला निर्णय मे नही दिया । उक्त मकान 10 वर्ष पूर्व निर्मित है तथा इसके पूर्व भी अपीलार्थी का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर रहा है। कमरा / मकान एक दिन में निर्मित नही होता है यदि उक्त भूमि राजकीय बिलानाम होती तो तत्कालीन पटवारी / राजस्व अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती, परन्तु कभी भी अतिक्रमण हो, ऐसी कोई कार्यवाही नही कि गई। यदि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2104 / 709 की होती तो पूर्व के पटवारी / राजस्व कर्मियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2104 / 709 का भाग नही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 / 07 / 2022 की अपनी आदेशिका मे यह अंकित किया है कि ''पटवारी द्वारा अतिक्रमित भूमि का लाल स्याही दर्शा कर नक्षा ट्रेस नही दिया गया है जो पटवारी को तहरीर जारी की जावे '' परंतु पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे तथाकथित बताये जा रहे अतिक्रमित भू—भाग के संबंध मे किसी प्रक़ार का नक्षा ट्रेस लाल स्याही दर्शा कर प्रस्तुत नही किया है जिससे स्पष्ट है कि जो भाग अतिक्रमण का बताया जा रहा है वह अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भू—भाग न होकर अपीलार्थी के खाते की जमीन खसरा नम्बर—707 का हिस्सा है। पटवारी द्वारा बिना नपती किये तथा बिना नक्षा ट्रेस मे अतिक्रमित भू—भाग खसरा संख्या 2104 / 709 का हिस्सा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय अपने आदेशिका दिनांक 12 / 07 / 2022 की पालना नही की है। साथ ही यह भी कथन है कि इस आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने का काम स्वंय किया है जो की पूर्णतः विधि विरूद्ध है।

रेस्पोडेण्ड संख्या—2 पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या—1 को दिनांक 17 / 05 / 2022 को धारा 91 की कार्यवाही करने बाबत् जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उस प्रार्थना पत्र मे यह कही भी वर्णित नही किया है कि अपीलार्थी द्वारा वाद ग्रस्त भूखण्ड पर **18’x15’** फीट का पक्का कमरा कब बनाया है, कितने वर्षो से अपीलार्थी काबिज है तथा उक्त खसरा नम्बर की कौनसी दिशा में अपीलार्थी का अतिक्रमण है। इस प्रकार पटवारी का प्रार्थना पत्र ही अपूर्ण है। इस अपूर्ण प्रार्थना पत्र पर धारा 91 की कार्यवाही नही की जा सकती है। उक्त खसरा नम्वर 2104 / 709 रकवा 0.32 हैक्टेयर का मूल नम्बर 709 होकर 01.03 हैक्टैयर है जिसमे से 0.32 हैक्टेयर राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी विछीवाडा द्वारा दिनांक 07 / 02 / 2022 को जारी किया गया है। परन्तु जान बूझकर पैमुदगी गलत की गई है। जवकि खसरा नम्वर 709 मे अन्य व्यक्तियो का अतिक्रमण है। भूमि

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

आरक्षित रखने का आदेश दिनांक 07/02/2022 को पारित हुआ है जबकि इसके पूर्व ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कमरा/मकान बना हुआ है व आदेश की पालना मे भूमि की पैमुदगी गलत की है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच नही की गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार गामडी अहाडा का प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय आदेश दिनांक 18.08.2022 को निरस्त करना फरमावे।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा लोडवाडा के खसरा न. 709 रकबा 1.05 है0 किस्म बिलानाम मगरी में से 0.32 है. राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है जो वक्ट आवंटन खाली पड़त भूमि थी। पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त अपीलाण्ट द्वारा खसरा न. 2104/709 की **18'x15'** फीट भूमि में निर्माण कर अतिक्रमण करना पाया गया। अतः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के दृष्टिगत नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

3 हमने अपील प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सूनी।

4 अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इस तथ्य पर कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 709 का भाग न होकर अपीलार्थी कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 707 का हिस्सा है । उक्त मकान 10 वर्ष पूर्व निर्मित की है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2104/709 की होती तो पूर्व के पटवारी/राजस्व कर्मियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती, इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2104/709 का भाग नही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12/07/2022 की अपनी आदेशिका मे यह अंकित किया है कि ''पटवारी द्वारा अतिक्रमित भूमि का लाल स्याही दर्शा कर नक्षा ट्रेस नही दिया गया है जो पटवारी को तहरीर जारी की जावे '' परंतु पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे तथाकथित बताये जा रहे अतिक्रमित भू–भाग के संबंध मे किसी प्रकार का नक्षा ट्रेस लाल स्याही दर्शा कर प्रस्तुत नही किया है।

पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह कही भी वर्णित नही किया है कि अपीलार्थी द्वारा वाद ग्रस्त भूखण्ड पर **18'x15'** फीट का पक्का कमरा कब बनाया है, कितने वर्षो से अपीलार्थी काबिज है तथा उक्त खसरा नम्बर की कौनसी दिशा में अपीलार्थी का अतिक्रमण है, इस प्रकार पटवारी का प्रार्थना पत्र ही अपूर्ण है, इस अपूर्ण प्रार्थना पत्र पर धारा 91 की कार्यवाही

दिनेश धाकड़
जिला कलक्टर, डूंगरपुर

नही की जा सकती है। उक्त खसरा नम्बर 2104 / 709 रकबा 0.32 हैक्टेयर का मूल नम्बर 709 होकर 01.03 हैक्टैयर है जिसमे से 0.32 हैक्टेयर राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा द्वारा दिनांक 07 / 02 / 2022 को जारी किया गया है। भूमि आरक्षित रखने का आदेश दिनांक 07 / 02 / 2022 को पारित हुआ है जबकि इसके पूर्व ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कमरा / मकान बना हुआ है व आदेश की पालना मे भूमि की पैमुदगी गलत की है। इस हेतु अधीनरथ न्यायालय द्वारा जांच नही की गई है, ऐसी स्थिति मे अधीनरथ न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनरथ तहसीलदार गामडी अहाडा का प्रकरण संख्या 01 / 2022 निर्णय आदेश दिनांक 18.08.2022 को निरस्त करना फरमावे।

5. रेस्पोडेण्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लोडवाडा के खसरा न. 2104 / 709 कुल रकबा 0.32 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आरक्षित है, उक्त भूमि में से 18X15 स्कावर फिट पर अतिक्रमि श्री नारायण पिता कुरीया लबाना निवासी लोडवाडा द्वारा पक्का तामीर कार्य किया गया है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा के निर्णय दिनांक 18.08.2022 द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतिक्रमी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया हैं। अतः राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के दृष्टिगत नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

6. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड / दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। मौजा लोडवाडा तहसील गामडी अहाडा के खसरा न. 2104 / 709 कुल रकबा 0.32 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, उक्त भूमि में से 18X15 स्कावर फिट पर अतिकमी श्री नारायण पिता कुरीया लबाना निवासी लोडवाडा द्वारा पक्का निर्माण कार्य किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। वादग्रस्त आराजी जिस पर अतिकमी के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा द्वारा आदेश पारित किया गया हैं, यह आराजी राजस्व रिकोर्ड में राजकीय भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित के नाम दर्ज खसरा न. 2104 / 709 कुल रकबा 0.32 है0 है। अतिकमी द्वारा इस

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

आराजी पर पक्का निर्माण कार्य किया गया हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा के निर्णय दिनांक 18.08.2022 द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गामडी अहाडा का प्रकरण सं. 01/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर